कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास/नियमन/2025/00865 दिनांकः– 06.05.2025

प्रेषितीः–

रंगलाल पुत्र श्री खुमाणा राम,
जाति जाट निवासी वार्ड नं. 13,
दासा की ढ़ाणी तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम दासा की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 528/373 रकबा 5093.00 वर्गमीटर भूमि पर रंगलाल नगर आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम दासा की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 528/373 रकबा 5093.00 वर्गमीटर भूमि पर रंगलाल नगर आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना मे सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए न्यास द्वारा जारी आदेश क्रमांक नविन्यास/विकास/2024–25/232 दिनांक 15.01.2025 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
7. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 08, 13 व 14 कुल भू–खण्ड–03) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.05.06 17:53:45 IST
Reason: Approved

RANGLAL NAGAR AAWASIYA YOJNA

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 528/373, CHARAN KA BAS ROAD,
DASA KI DHANI, SIKAR
REVENUE VILL. -DASA KI DHANI, TEH& DIST.-SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A AND RESIDENTIAL CONVERSION
APPLICANT:- RANGLAL S/O KHUMANA RAM

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR

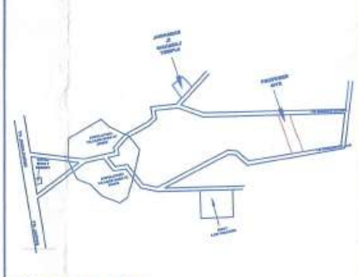

KEY-PLAN
Not To Scale

SECTOR PLAN MAP

GOOGLE EARTH MAP

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%	
1.	RESIDENTIAL	3141.71	61.69%	64.71%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0153.79	03.02%	
3.	MOBILE TOWER	0011.07	00.22%	01.24%
4.	S.W.M	0052.06	01.02%	
5.	AREA SURR. IN 24.00/18.00 M. ROAD	0503.41	09.88%	34.05%
6.	ROAD	1230.96	24.17 %	
	TOTAL	5093.00	100.00 %	

SCHEME PLOTS DETAIL

	PARTICULARS	NO.
१.	RESIDENTIAL PLOT'S	22
२.	INFORMAL COMMERCIAL	3
३.	MOBILE TOWER	1
४.	S.W.M	1

- - - - - - -	SCHEME BOUNDARY
- - - - - - -	KHASRA LINE
———	PLOT BOUNDARY
//////	SURR. AREA IN 24.00/18.00 METER ROAD
- - - - - - -	SETBACK LINE

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =5.0 MTR

योजना का नाम RANGLAL NAGAR का ले-आउट आज दिनांक 27/3/25 को लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

TOTAL AREA IN KH. NO. 528/373 = 5093.00 SQ. MTR

उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	27/3/25 बी.एल. शर्मा अधिशाषी अभियन्ता न.वि. न्यास, सीकर	27.3.2025 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर	